महत्वपूर्ण

संख्या-02/2018/206/29-5-2018-5(1)/18

प्रेषक,

निवेदिता शुक्ला वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग,
जवाहर भवन,लखनऊ।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3- महाप्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
क्षेत्रीय कार्यालय, गोमती नगर, लखनऊ।

4- समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश।

5- प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश प्रादेशिक को-ऑपरेटिव संघ,(पी0सी0एफ0)
32 स्टेशन रोड, लखनऊ।

6-प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, 17 गोखले मार्ग, लखनऊ।

7- प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0 एग्रो, 22 विधान सभा मार्ग,
लखनऊ।

8- प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव यूनियन (पी0सी0यू0)

9-अधिशाषी निदेशक,
उ0प्र0,राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य भण्डारागार निगम न्यू हैदराबाद,लखनऊ।

11- क्षेत्रीय प्रबन्धक,
केन्द्रीय भण्डारागार निगम,
गोमती नगर, लखनऊ।

12- शाखा प्रबन्धक,
भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (एन0सी0सी0एफ0),
लखनऊ।

13- शाखा प्रबंधक,
नेशनल एग्रीकल्चर को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (नैफेड)

खाद्य तथा रसद अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 21 मार्च, 2018

विषय:- रबी विपणन वर्ष 2018-19 में केन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय की व्यवस्था हेतु नीति निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रारम्भ रबी विपणन वर्ष 2018-19 में किसानों को उनकी उपज का लाभकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मूल्य उपलब्ध कराये जाने के निमित्त न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूँ की खरीद किसानों से एफ.सी.आई.तथा राज्य सरकार की क्रय एजेन्सियों द्वारा निम्नलिखित अनुदेशों के अनुसार की जायेगी:-

1- समर्थन मूल्य:-

भारत सरकार द्वारा घोषित गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य रूपया-1735/- प्रति कुन्तल के आधार पर रबी विपणन वर्ष 2018-19 में गेहूँ का क्रय किया जायेगा।

2- कार्यकारी लक्ष्य:-

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रबी खरीद वर्ष 2018-19 में प्रदेश के लिए राज्य सरकार द्वारा 50.00 लाख मी0टन गेहूँ क्रय का कार्यकारी लक्ष्य रखा गया है, किन्तु कृषकों को मूल्य समर्थन योजना का अधिकाधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से केन्द्रों पर गेहूँ की आवक होने पर निर्धारित कार्यकारी लक्ष्य से अधिक भी गेहूँ क्रय किया जा सकेगा।

3- क्रय संस्थायें एवं कार्यकारी लक्ष्य का विभाजन:-

3.1 रबी विपणन योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय करने हेतु निम्न क्रय संस्थायें प्रस्तावित हैं जिनका संस्थावार कार्यकारी लक्ष्य का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	क्रय एजेन्सी का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु कार्यकारी लक्ष्य (लाख मी0टन)
1	खाद्य विभाग की विपणन शाखा (पंजीकृत सोसाइटी, मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटी एवं फारमर्स प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन/कम्पनीज)	11.00
2	उ0प्र0 कर्मचारी कल्याण निगम	2.00
3	उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (एस0एफ0सी0)	1.00
4	उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पी0सी0एफ)	21.00
5	उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव यूनियन (यू0पी0सी0यू0)	5.00
6	उ0प्र0 राज्य कृषि एवं औद्योगिक निगम (यू0पी0 एग्रो0)	2.00
7	भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (एन0सी0सी0एफ0)	1.50
8	नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इण्डिया लि0 (नेफेड)	1.50
9	भारतीय खाद्य निगम	5.00
	योग:-	50.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.2 आवश्यकतानुसार प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा क्रय संस्थाओं के लक्ष्य को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है, या किसी अन्य क्रय संस्था को गेहूँ खरीद हेतु नामित किया जा सकता है तथा किसी कार्यरत संस्था को खरीद कार्य से हटाया जा सकता है।

3.3 खाद्य विभाग के माध्यम से निबन्धक सहकारी समितियां, उ0प्र0 द्वारा पंजीकृत सहकारी समितियों से गेहूँ खरीद की जायेगी। पंजीकृत सहकारी समितियां अच्छी साख व सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाली होनी चाहिए एवं समितियों के उपनियम (Bylaws) में खाद्यान्न की खरीद बिक्री का कारोबार किया जाना उल्लिखित होना चाहिए। पंजीकृत सहकारी समितियों की नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता की स्पष्ट संस्तुति के उपरान्त की जायेगी।

3.4 खाद्य विभाग के माध्यम से केन्द्रीय निबन्धक सहकारी समिति, कृषि भवन, नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटी द्वारा भी रबी विपणन वर्ष 2018-19 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ की खरीद की जायेगी। मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटी के चयन हेतु वाँछित मापदण्डों का निर्धारण, नियुक्ति एवं क्रय केन्द्रों का चयन खाद्यायुक्त द्वारा किया जायेगा। मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटी की अच्छी साख एवं सुदृढ़ आर्थिक स्थिति होनी चाहिये। सोसाइटी के उपनियम (Bylaws) में खाद्यान्न की खरीद बिक्री का कारोबार किया जाना उल्लिखित होना चाहिए।

3.5 भारत सरकार के कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त संस्थान स्माल फारमर्स एग्रो बिजनेस कान्सोर्टियम (SFAC) में पंजीकृत फारमर्स प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन (FPO) एवं फारमर्स प्रोड्यूसर कम्पनीज (FPC) जो कि अच्छी साख एवं सुदृढ़ आर्थिक स्थिति की हो तथा उपनियम (BY LAWS) में खाद्यान्न की खरीद बिक्री का कारोबार किया जाना उल्लिखित हो खाद्य विभाग के माध्यम से गेहूँ क्रय कर सकेंगी। एफ0 पी0 ओ0/एफ0पी0सी0 की नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी।

3.6 पंजीकृत सहकारी समितियों, पंजीकृत मल्टी स्टेट को- आपरेटिव सोसाइटीज, पंजीकृत एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, शपथ-पत्र का प्रारूप तथा सम्पादित होने वाले अनुबन्ध पत्र का निर्धारण खाद्य आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

3.7 पंजीकृत सहकारी समितियों, पंजीकृत मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटीज तथा फारमर्स प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन (FPO) एवं फारमर्स प्रोड्यूसर कम्पनीज (FPC) के बिल खाद्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विभाग के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम को प्रस्तुत किये जाएंगे तथा इनको गेहूँ के मूल्य का भुगतान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्य विभाग के माध्यम से किया जायेगा।

3.8 गेहूँ क्रय का जनपदवार/संस्थावार कार्यकारी लक्ष्य का निर्धारण आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा किया जायेगा।

4- <u>गुणविनिर्दिष्टियाँ:-</u>

रबी विपणन वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणविनिर्दिष्टियों के अनुसार गेहूँ क्रय किया जायेगा।

4.1 <u>जिला खरीद अधिकारी की नियुक्ति:</u>

जिलाधिकारी द्वारा जनपद के किसी वरिष्ठ अधिकारी को, जो कम से कम अपर जिलाधिकारी स्तर के हों, जिला खरीद अधिकारी एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी को अपर जिला खरीद अधिकारी नामित किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक उप जिलाधिकारी को गेहूँ क्रय व भण्डारण के निमित्त तहसील/परगना हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जिसके साथ इस कार्य में क्षेत्रीय विपणन अधिकारी द्वारा समन्वय रखा जायेगा। मण्डलायुक्त, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, जिलाधिकारी, जिला खरीद अधिकारी, सभी नोडल अधिकारी एवं क्रय संस्थायें यह सुनिश्चित करेंगी, कि गेहूँ खरीद एवं केन्द्रीय पूल में भण्डारण का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे तथा किसी भी कारण से गेहूँ खरीद प्रभावित न होने पाये।

5- <u>गेहूँ क्रय की अवधि एवं क्रय केन्द्र का समय:-</u>

5.1 रबी विपणन वर्ष 2018-19 में गेहूँ क्रय की अवधि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए 01 अप्रैल, 2018 से 15 जून, 2018 तक प्रभावी रहेगी।

5.2 सामान्यतः क्रय केन्द्र प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 तक खुले रखे जायेंगे, किन्तु जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्रय केन्द्र के खुलने व बन्द होने के समय में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु अधिकृत होंगे।

5.3 कृषकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर, शेष कार्य दिवसों में गेहूँ क्रय केन्द्र खुले रहेंगे। जिलाधिकारी रविवार को छोड़कर अन्य अवकाश के दिनों में भी लक्ष्य की पूर्ति के दृष्टिगत क्रय केन्द्र खुलवा सकेंगे।

6- <u>क्रय केन्द्रों की स्थापना:-</u>

6.1 प्रदेश में प्रत्येक 08 कि0मी0 की दूरी पर अनिवार्य रूप से एक केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था होगी, किन्तु भौगोलिक दृष्टि से यथावश्यक परिवर्तन भी जिलाधिकारी कर सकेंगे। सहकारी समितियों की कार्य क्षमता व आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा क्रय केन्द्र का चयन किया जायेगा।

6.2 जनपद की परिस्थितियों एवं क्षेत्र में गेहूँ की आवक के दृष्टिगत क्रय संस्था के मध्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रय केन्द्रों का स्थल आवंटन स्थानीय स्तर पर सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। जिले में कार्यरत एजेन्सी द्वारा अपने जिले के अधिकारी/कर्मचारी की सूची सम्बन्धित जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जिलाधिकारी, क्रय एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारियों की उपलब्धता के दृष्टिगत ही क्रय केन्द्रों का निर्धारण करेंगे। क्रय केन्द्रो के निर्धारण को अन्तिम रूप देने के पूर्व जिलाधिकारी, जिला खरीद अधिकारी, अपर जिला खरीद अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, क्रय एजेन्सियों के जिला स्तरीय अधिकारी, समस्त मण्डी समिति के सचिव तथा प्रत्येक तहसील के न्यूनतम 01 प्रगतिशील कृषक के साथ बैठक भी करेंगे । क्रय केन्द्रों का निर्धारण एवं चयन इस प्रकार किया जाएगा कि किसी भी किसान को अपना गेहूँ विक्रय के लिए 08 किमी0 से अधिक दूरी न तय करनी पड़े। जिस न्याय पंचायत में न्यूनतम 100 मी0टन की खरीद सम्भावित है, वहाँ गेहूँ क्रय केन्द्र सहकारी समिति के भवन/गोदाम में, किसी ग्राम पंचायत भवन/मनरेगा भवन अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान में स्थापित करने का प्रयास किया जाये। क्रय केन्द्र मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में स्थापित किये जाएं जहॉ गेहूँ की अच्छी आवक होती है और खरीद की अच्छी सम्भावना हो। इस प्रकार प्रदेश में कुल 5500 क्रय केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। क्रय स्थल निर्धारण हेतु मण्डी, उपमण्डी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब एवं मुख्य मार्ग के समीप के स्थल आदि को प्राथमिकता दी जायेगी, जहाँ गेहूँ विक्रेता कृषक गेहूँ लेकर सरलता से पहुँच सकें व क्रय केन्द्र की जानकारी भी गेहूँ विक्रेता कृषकों को सुगमता से मिल सके।

6.3 गेहूँ क्रय हेतु क्रय संस्थाओं द्वारा समय से क्रय केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। रबी विपणन वर्ष 2018-19 में एजेंसियों के निम्नानुसार क्रय केन्द्र खोले जायेंगे:-

क्र0	क्रय एजेन्सी का नाम	वर्ष 2018-19 में खोले जाने हेतु प्रस्तावित क्रय केन्द्र
1	खाद्य विभाग की विपणन शाखा (पंजीकृत सोसाइटी, मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटी एवं फार्मस प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन/कम्पनीज)	850
2	उ0प्र0 कर्मचारी कल्याण निगम (क0क0नि0)	200
3	उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम(एस0एफ0सी0)	60
4	उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पी0सी0एफ)	3500
5	उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव यूनियन (यू0पी0सी0यू0)	500
6	उ0प्र0 राज्य कृषि एवं औद्योगिक निगम	100

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(यू0पी0 एग्रो)	
7	भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित(एन0सी0सी0एफ0)'	80
8	नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इण्डिया लि0 (नैफेड)	60
9	भारतीय खाद्य निगम	150
	योग:-	5500

6.4 जनपद में एक बार गेहूँ क्रय केन्द्रों का निर्धारण करने के पश्चात् अतिरिक्त गेहूँ क्रय केन्द्र खोले जाने अथवा निर्धारित क्रय अवधि के पूर्व क्रय केन्द्र को बन्द किये जाने की आवश्यकता पाये जाने पर औचित्य का परीक्षण कर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति निर्णय लेगी, जिसके सदस्य जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्रय संस्था के जिला स्तरीय अधिकारी एवं सहायक आयुक्त तथा सहायक निबन्धक, सहकारिता होंगे।

7- क्रय केन्द्रों की स्थापना एवं उनका संचालन निम्नलिखित मानकों के अनुसार किया जायेगा:-

7:1 मण्डी यार्ड एवं उप मण्डी यार्ड में, सार्वजनिक स्थल तथा मुख्य सड़क मार्ग पर गेहूँ क्रय केन्द्र स्थापित करने को वरीयता दी जायेगी।

7.2 गत वर्षों में माह अप्रैल से जून तक मण्डी यार्ड में प्रति 5000 मी0टन प्रगतिशील गेहूँ की आवक पर, एक गेहूँ क्रय केन्द्र खोलने का प्रयास किया जाए ।

7:3 कृषकों की सुविधा के दृष्टिगत स्थायी गेहूँ क्रय केन्द्र/स्थल बनाये जाने पर विशेष ध्यान दिया जाये। इस निमित्त प्रयास किया जाये कि खाद्य विभाग, पी0सी0एफ0 व भा0खा0नि0 के केन्द्र एक निश्चित स्थान पर ही खोले जायें।

7;4 यथा सम्भव किसी क्रय केन्द्र प्रभारी के पास एक से अधिक क्रय केन्द्र का प्रभार नहीं होना चाहिए। खाद्य विभाग के क्षेत्रीय विपणन अधिकारियों को तहसील स्तर पर पर्यवेक्षण कार्य में लगाया जाए किन्तु विपणन निरीक्षकों की कमी होने की स्थिति में जनपद में कनिष्ठतम क्षेत्रीय विपणन अधिकारी को भी क्रय केन्द्र प्रभारी नामित किया जा सकेगा।

7.5 महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु यदि जमीन के प्रपत्र महिला के नाम हैं एवं महिला कृषक केन्द्र पर गेहूँ विक्रय करने आती है तो उसको वरीयता देते हुए बगैर नम्बर के भी उसका गेहूँ क्रय किया जा सकेगा।

7.6 क्रय केन्द्रों की स्थापना आदि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय क्रय एजेन्सियों के लिए मान्य होगा।

8- <u>कृषक पंजीकरण:-</u>

रबी विपणन वर्ष 2018-19 में गेहूँ क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की बिक्री हेतु कृषक को खाद्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। यह पंजीकरण कृषक द्वारा स्वयं अथवा जनसूचना केन्द्र के माध्यम से अथवा साइबर कैफे के माध्यम से कराया जा सकेगा। कृषक पंजीकरण का प्रचार-प्रसार मण्डी परिषद के माध्यम से कराया जायेगा।

8.1 <u>ई-उपार्जन (ई-प्रक्योरमेन्ट)</u>:-

रबी विपणन वर्ष 2018-19 में समस्त क्रय एजेन्सियां, पंजीकृत सहकारी समितियां, मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटी, एफ0पी0ओ0/ एफ0पी0सी0 भारतीय खाद्य निगम एन0 आई0 सी0/ भा0खा0नि0 द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर आन-लाइन गेहूँ क्रय की प्रक्रिया को अपनाएंगे। एन0आई0सी0 के सहयोग से क्रय व्यवस्था से जुड़े समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिलवाया जायेगा।

8.2 समस्त क्रय संस्थायें एवं पंजीकृत सहकारी समितियां, मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटी,एफ0पी0ओ0/एफ0 पी0 सी0 अपने संसाधन से कम्प्यूटर/लैपटाप, आईपैड, इन्टरनेट कनेक्शन व इस निमित्त अन्य आवश्यक आधारभूत व्यवस्थायें समय से करेंगी। इस निमित्त राजस्व विभाग व कृषि विभाग तथा खाद्य विभाग द्वारा गत वर्षों में ई उपार्जन के माध्यम से क्रय गेहूँ व धान खरीद के डाटा बेस का उपयोग किया जा सकेगा।

8.3 यदि किसी कृषक का पूर्व से पंजीकरण नहीं है तो क्रय केन्द्र से उसे वापस नहीं किया जायेगा, उसका क्रय केन्द्र पर पंजीकरण कर गेहूँ क्रय किया जा सकेगा।

8.4 साफ्टवेयर में आनलाइन खरीद के साथ-साथ आफलाइन खरीद की भी व्यवस्था की जायेगी। यदि अपरिहार्य कारण से आनलाइन फीडिंग नहीं हो पाती है तो क्रय कार्य रोका नहीं जायेगा एवं आफलाइन खरीद करते हुये 24 घण्टे के अन्दर आनलाइन फीडिंग सुनिश्चित कर ली जायेगी। आनलाइन प्रदर्शित खरीद को ही क्रय एजेन्सियों द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

9- <u>गेहूँ क्रय व्यवस्था:-</u>

9.1 किसान प्रदेश के अन्दर किसी भी केन्द्र पर गेहूँ विक्रय हेतु स्वतंत्र होंगे।

9.2 प्रत्येक क्रय केन्द्र पर 02 इलेक्ट्रानिक कांटा, 01 नमी मापक यंत्र, विनोईंग फैन एवं डबल जाली का छलना आवश्यक रूप से रखा जायेगा, जिसकी व्यवस्था मण्डी परिषद द्वारा की जायेगी।

9.3 प्रत्येक क्रय केन्द्र पर गेहूँ का एक मानक नमूना भी प्रदर्शित किया जायेगा।

10- <u>मण्डी परिषद् का दायित्व:-</u>

10.1 क्रय एजेन्सियों द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों पर कृषकों के लिए निम्न सुविधायें उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् का है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) किसानों के लिए पानी की व्यवस्था, बाल्टी, लोटा, गिलास, मिट्टी के मटके।

(2) पशुओं के लिए पानी, नाद, बैलगाड़ी व वाहन के लिए पार्किंग स्थल।

(3) किसानों के लिए शामियाना तथा बैठने हेतु तख्त कुर्सी तथा दरी।

(4) पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त किस्म के छन्ने एवं पंखे।

(5) प्रकाश के लिए पैट्रोमेक्स।

(6) किसानों के गेहूँ को वर्षा आदि से बचाने के लिए तिरपाल की व्यवस्था।

(7) मण्डीयार्डों में स्थापित क्रय केन्द्रों पर उक्त व्यवस्था मण्डी परिषद द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी। अन्य क्रय केन्द्रों पर यदि मण्डी समिति यह व्यवस्था नहीं करती है, तो क्रय एजेन्सियां यह व्यवस्था गतवर्ष केन्द्र पर हुयी कुल गेहूँ खरीद एवं व्यय हेतु मण्डी के निर्धारित स्लैब के दृष्टिगत स्वयं करेंगी तथा इस पर व्यय हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति पूरे जनपद में गेहूँ खरीद पर देय मण्डी शुल्क से कर ली जायेगी।

10.2 रबी विपणन वर्ष 2018-19 में मण्डी परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में निम्नवत् व्यय सीमाएं निर्धारित की गयी हैं:-

क्र0	खरीद प्रति केन्द्र (टन में)	अनुमन्य सीमाएं
1	0 से 250	रू0 7500 प्रति केन्द्र
2	251 से 600	रू0 15000 प्रति केन्द्र
3	601 से अधिक	रू0 22,500 प्रति केन्द्र

10.3 मण्डी परिषद द्वारा मण्डी के गेट पर एवं अन्य उपयुक्त स्थान पर तथा सार्वजनिक स्थलों पर गेहूँ क्रय के व्यापक प्रचार-प्रसार के निमित्त बड़े-बड़े फ्लैक्सी बैनर लगवाये जायेंगे। मण्डी यार्डों में क्रय केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रवेश द्वार के निकट के चबूतरों को आवंटित किया जायेगा तथा क्रय केन्द्रो पर आसानी से पहुंचने हेतु दिशा सूचक प्रदर्शित किये जायेंगे।

10.4 मण्डी परिषद् द्वारा नमी मापक यंत्र एवं इलेक्ट्रानिक कांटा खाद्य विभाग एवं क्रय संस्थाओं को उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा। इन वस्तुओं का रख-रखाव मण्डी परिषद् द्वारा किया जायेगा। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा विनोईंग फैन, नमी मापक यंत्र एवं इलेक्ट्रानिक कांटा आदि की संस्थावार मांग मण्डी परिषद् को उपलब्ध करायी जायेगी तथा मण्डी निदेशक सम्बन्धित उप मण्डी निदेशक के माध्यम से यह वस्तुएं सम्बन्धित क्रय एजेन्सियों को प्राथमिकता पर क्रय कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व उपलब्ध कराने की व्यवस्थ करेंगे।

10.5 मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले किसी भी यन्त्र के खराब होने अथवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुपयोगी होने की स्थिति में सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी 24 घण्टे के अन्दर इसकी लिखित व एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचना सम्बन्धित सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति को देंगे तथा सचिव, मण्डी समिति द्वारा 24 घण्टे के अन्दर इसकी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। निदेशक, मण्डी परिषद् द्वारा इस प्रयोजन हेतु जनपद व सम्भाग स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।

10.6 कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी व प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाने व मूल्य समर्थन योजना में गुणात्मक व पारदर्शी ढंग से गेहूँ क्रय हेतु आवश्यक है कि मण्डी परिषद द्वारा निर्मित मण्डी यार्ड जहाँ पर व्यापारियों ने अभी तक खाद्यान्न की खरीद व बिक्री का कार्य स्थानान्तरित नहीं किया है एवं अपने किसी दुकान व मिल आदि से अथवा किसी अन्य स्थान व बाजार से खाद्यान्न की खरीद बिक्री का कारोबार सम्पादित कर रहें हैं। उन्हें अभियान चलाकर उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली 1965 के अनुरूप मण्डी यार्डों में शीघ्र स्थानान्तरित कराया जाये। किसानों द्वारा मण्डियों में लाये गये गेहूँ की बिक्री हेतु नीलामी द्वारा खुली बोली दिन में 02 बार पूर्वान्ह 11:00 बजे और अपरान्ह 2:00 बजे मण्डी सचिव, क्रय संस्थाओं के केन्द्र प्रभारी तथा उपस्थित व्यापारियों के समक्ष लगायी जायेगी ताकि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके। नीलामी प्रक्रिया को व्हाट्सएप पर भी मण्डी समिति द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को भेजा जायेगा। नीलामी के समय यदि केन्द्र प्रभारी उपस्थित नहीं रहता है,तो इसकी सूचना जिलाधिकारी एवं अन्य उच्चाधिकारियों को सचिव द्वारा दी जायेगी। गेहूँ की व्यावसायिक तरीके से नीलामी कराने पर यदि नीलामी में गेहूँ की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर आती है और गेहूँ निर्धारित गुण-विनिर्दिष्टियों के अनुरूप है, तो क्रय संस्थाओं द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद लिया जायेगा।

10.7 क्रय केन्द्रों पर कृषक बन्धुओं को सुविधा उपलब्ध कराने व निर्धारित गुणवत्ता का गेहूँ क्रय करने के उद्देश्य से कृषकों के गेहूँ की उतराई, छनाई व सफाई में आने वाला व्यय रू0-10 प्रति कुन्तल कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा, किन्तु इस निमित्त कृषक को रू0 10 प्रति कुन्तल की दर से आर0टी0जी0एस0/एकाउन्टपेयी चेक के माध्यम से उसके बैंक एकाउन्ट में भुगतान क्रय एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। यह भुगतान गेहूँ के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगा। उतराई, छनाई व सफाई के मद में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति क्रय एजेन्सियों को मण्डी परिषद द्वारा की जायेगी। इस मद में लगभग रू0-40 करोड़ का अनुमानित व्यय आयेगा, जिसको मण्डी परिषद द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

10.8 केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत गेहूँ का सुगमतापूर्वक भण्डारण कराने हेतु मण्डी समितियों के चबूतरे व गोदाम गेहूँ के अस्थायी भण्डारण हेतु किराये पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रयुक्त किये जा सकेंगे। जिन मण्डियों में चबूतरों पर प्राइवेट व्यापारियों ने अपना खाद्यान्न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भण्डारित कर रखा है, आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी उन चबूतरों को गेहूँ भण्डारण हेतु खाली करा सकेंगे। मण्डी समितियां विशिष्ट मण्डियों में जहाँ बड़े-बड़े गोदाम खाद्यान्न भण्डारण हेतु निर्मित किये गए हैं किन्तु वेब्रिज अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं, वरीयता के आधार पर वेब्रिज स्थापित करायें, जिससे क्रय गेहूँ का सुगमतापूर्वक भण्डारण हो सके।

11- <u>क्रय केन्द्रों पर अभिलेखों का रख-रखावः-</u>

11.1 सरकारी क्रय एजेन्सियों द्वारा गेहूँ क्रय सम्बन्धी अभिलेख निर्धारित प्रारूप पर छपवाकर रखे जायेंगे क्योंकि इस वर्ष शत-प्रतिशत खरीद ई-उपार्जन के माध्यम से आनलाइन होगी, अतएव निरीक्षण पंजिका, शिकायत पंजिका व गेहूँ रिजेक्शन पंजिका को छोड़कर अन्य अभिलेख रखे जाने की अनिवार्यता नहीं होगी किन्तु क्रय पंजिका, बोरा रजिस्टर, भुगतान विवरण व स्टाक पंजिका के अद्यावधिक प्रिन्ट आउट निकलवा कर अलग-अलग पत्रावली में सुरक्षित रखने होंगे,जिससे निरीक्षणकर्ता सन्तुष्ट हो सकें।

(1) क्रय तक पट्टी
(2) क्रय पंजिका
(3) बोरा रजिस्टर
(4) स्टाक रजिस्टर
(5) बिल बुक
(6) निर्गत चेकों का विवरण पत्र
(7) टी0सी0डी0सी0 स्लिप
(8) बैंक लेखा पंजी
(9) निरीक्षण पंजिका
(10) शिकायत पंजिका
(11) क्रय किये गये गेहूँ को सम्बन्धित भा0खा0नि0 डिपो को प्रेषित करने सम्बन्धी पंजिका
(12) परिवहन ठेकेदार की नियुक्ति सम्बन्धी आदेश
(13) हैण्डलिंग ठेकेदार की नियुक्ति सम्बन्धी आदेश
(13) गेहूँ रिजेक्शन रजिस्टर
(14) आर0टी0जी0एस0 रजिस्टर

11.2 कृषक का गेहूँ गीला अथवा गन्दा होने पर क्रय केन्द्र पर अस्वीकृत न किया जाये, बल्कि उसे क्रय केन्द्र पर सुखाने व साफ करने का पर्याप्त मौका दिया जाये व मानक के अनुरूप लाकर क्रय किया जाये।

11.3 यदि उक्त गेहूँ की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं आ पाती है एवं कृषक संतुष्ट नहीं है तो वह तहसील स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के यहां उक्त की अपील कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सकता है। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति विलम्बतम 48 घण्टे में कृषक के सम्मुख विश्लेषण कर निर्णय लेगी। इस समिति में निम्न सदस्य होंगे :-

(1) क्षेत्रीय विपणन अधिकारी - अध्यक्ष

(2) मण्डी सचिव के समिति /ग्रेडर - सदस्य

(3) केन्द्र प्रभारी - सदस्य

(4) 02 स्वतंत्र कृषक - सदस्य

11.4 किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में कृषकों द्वारा लाये गये गेहूँ को अस्वीकृत किये जाने पर रिजेक्शन रजिस्टर में गेहूँ विक्रेता का नाम व उसका पूरा पता, मोबाइल नम्बर, गेहूँ की मात्रा तथा अस्वीकृत करने का पर्याप्त एवं स्पष्ट कारण अंकित किया जायेगा।

11.5 मांग किये जाने पर रिजेक्शन रजिस्टर सम्बन्धित किसानों, माननीय जन प्रतिनिधियों एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को भी दिखाया जायेगा।

11.6 कृषकों की सुविधा की दृष्टि से गेहूँ क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित सूचनायें बैनर पर क्रय स्थल की दीवार पर प्रदर्शित की जायेंगी तथा क्रय स्थल की दीवार पर प्रमुखता से पेन्ट करायी जायेगी:-

(1) गेहूँ का समर्थन मूल्य

(2) क्रय संस्था व क्रय केन्द्र का नाम ।

(3) शिकायत पंजीकरण का टोल फ्री नम्बर-18001800150

(4) क्रय केन्द्र प्रभारी का नाम व मोबाइल नम्बर

(5) क्रय एजेन्सी के जनपद स्तरीय अधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर।

(6) जिला खाद्य विपणन अधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर।

(7) उप जिलाधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर

(8) गुणवत्ता के मानक

(9) सम्बन्धित बैंक का नाम जहाँ से भुगतान होना है।

(10) क्रय केन्द्र खुलने का समय प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक।

(11) प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन।

एकरूपता की दृष्टि से सभी केन्द्रों के लिए खाद्यायुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप पर बैनर सम्बन्धित क्रय एजेन्सी के मुख्यालय द्वारा तैयार कराया जायेगा।

12- <u>क्रय केन्द्रों पर बांट एवं मापों का सत्यापन:-</u>

12.1 क्रय केन्द्रों पर प्रयोग किये जाने वाले बांट-माप और इलेक्ट्रानिक काँटे का सत्यापन व निरीक्षण क्रय कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व तथा समय-समय पर नियमानुसार नियंत्रक, विधिक बांट माप विज्ञान विभाग द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12.2 क्रय संस्थाओं द्वारा यह भी ध्यान रखा जायेगा कि क्रय केन्द्रों पर सही बांट तथा माप का प्रयोग हो तथा सही तौलाई की जाय। मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराये गए इलेक्ट्रानिक कांटों का 25 मार्च 2018 तक अभियान चलाकर सत्यापन करा लिया जाये।

12.3 क्रय केन्द्रों व भण्डारण डिपो पर सही तौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मण्डी समितियां प्रत्येक जनपद हेतु इलेक्ट्रानिक कांटों की रिपेयरिंग हेतु एक मैकेनिक नामित करेगी। यदि यह सम्भव नहीं हो पाता है तो सम्भाग में एक मैकेनिक नामित करेगी व उसका मोबाइल नम्बर सर्वसम्बन्धित को सूचित करेंगी।

13- <u>बोरों की व्यवस्था:-</u>

13.1 गेहूँ खरीद के लिए बोरों की व्यवस्था क्रय संस्थाओं के लिए खाद्य विभाग द्वारा की जाती है। रबी खरीद वर्ष 2018-19 के लिए राज्य सरकार की क्रय एजेन्सियों द्वारा अनुमानित खरीद के आधार पर बोरों की आवश्यकतानुसार व्यवस्था की गयी है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार गेहूँ खरीद केवल 50 किलोग्राम भर्ती वाले एस0बी0टी0 जूट के बोरों तथा एच0डी0पी0ई0/पी0पी0 बैग्स में की जायेगी। जिलों तक बोरों का परिवहन रेल/सड़क मार्ग से इस प्रकार किया जायेगा कि बोरों के परिवहन में कम से कम समय में न्यूनतम व्यय पर बोरे सभी गन्तव्य स्थलों पर उपलब्ध हो सकें ।

13.2 बोरों का आवंटन प्रारम्भ में ही विभिन्न क्रय एजेन्सियों को खाद्यायुक्त/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा पूर्व भुगतान के आधार पर उनके लक्ष्य के 30 प्रतिशत गेहूँ क्रय हेतु कर दिया जायेगा।

13.3 क्रय संस्थाओं के पास गतवर्षों के अवशेष एच0डी0पी0ई0/पी0पी0 गाँठ व जूट गाँठ तथा धान क्रय सत्र 2017-18 के अवशेष उपयोगी बोरों का प्रयोग सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त प्राथमिकता पर करने के उपरान्त ही नये अवशेष बचे जूट के बोरों का प्रयोग किया जायेगा।

13.4 विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन व्यवस्था के अन्तर्गत, शासन की पूर्वानुमति से क्रय संस्थाएं खुले बाजार से भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप ई-टेण्डर द्वारा नियमानुसार भारतीय मानक ब्यूरो (बी0आई0एस0) के निर्धारित मानक के बोरों की आपूर्ति सीधे प्राप्त करेंगी, ताकि गेहूँ क्रय का कार्य प्रभावित न हो सके तथा किसानों को भी कोई असुविधा न होने पाये। ऐसी स्थिति में क्रय एजेन्सियों को भारत सरकार की कास्ट शीट में अनुमन्य बोरों की दर देय होगी।

13.5 मल्टी-स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटी व पंजीकृत सहकारी समितियों एफ0पी0ओ0 /

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एफ0पी0सी0 को खाद्य विभाग/क्रय एजेन्सी द्वारा पूर्व भुगतान के आधार पर बोरे दिये जायेंगे।

13.6 रैक से बोरों की प्राप्ति होने पर यदि खाद्य विभाग के पास बोरों के भण्डारण हेतु पर्याप्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध नहीं है तो सम्भागीय खाद्य नियंत्रक अधिकतम छः माह की अवधि हेतु अस्थायी गोदाम, सम्भागीय लेखाधिकारी के वित्तीय परामर्श के दृष्टिगत ले सकेंगे, किन्तु गोदाम किराये पर लेने में केन्द्रीय/राज्य भण्डारागार निगम के गोदाम, अन्य सरकारी गोदाम, अर्द्ध सरकारी, निगम व मण्डी समितियों के गोदामों को वरीयता दी जायेगी। यदि उक्त गोदाम किराये पर उपलब्ध नहीं होते हैं तो समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराकर बोरों के भण्डारण के दृष्टिगत सुरक्षित गोदाम किराये पर ले सकेंगे। किन्तु इन गोदामों को अधिकतम किराया उस ब्लाक में स्थित पी0डी0एस0 गोदाम हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत किराये के आधार पर देय होगा। यदि उस ब्लाक में पी0डी0एस0 गोदाम स्थित नहीं है तो निकटवर्ती पी0डी0एस0 ब्लाक हेतु गोदाम के अनुरूप देय होगा। यदि किसी ब्लाक में कई गोदाम स्वीकृत हैं तो जिस गोदाम का किराया न्यूनतम है, उसको इस निमित्त आधार बनाया जायेगा।

14- <u>गेहूँ के बोरों की भराई, सिलाई एवं स्टैन्सिलिंग:-</u>

14.1 क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गये गेहूँ की प्रति बोरा 50 किग्रा की स्टैण्डर्ड भराई की जायेगी। बोरों की सिलाई मशीन से अनिवार्य है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार मशीन की सिलाई के उपरान्त ही गेहूँ से भरे बोरों का सम्प्रदान किया जायेगा।

14.2 प्रत्येक बोरे पर आर0एम0एस0 2018-19, क्रय केन्द्र का कोड नम्बर, वजन, क्रय केन्द्र एवं क्रय संस्था का नाम, हैण्डलिंग ठेकेदार से अंकित कराने का उत्तरदायित्व क्रय केन्द्र प्रभारी का होगा।

14.3 बोरों पर भारत सरकार के पत्र सं0-15(1)/2012- पी0 वाई0 -।।।(ई फाइल)/318639 दिनांक25.10.2017 द्वारा निर्धारित नीले रंग की स्टेंन्सिलंग एवं ब्रांडिंग इन्डेन्टर की आवश्यकतानुसार की जायेगी। बोरों के मुख पर नीले रंग की मार्किंग अथवा स्टिचिंग की जायेगी। बोरों की पहचान के लिए जूट बैग्स पर 04 धागों की चौडी नीले रंग की स्ट्रिप लगायी जायेगी। साथ ही पूर्व वर्षों के अप्रयुक्त नये बोरों को रबी विपणन वर्ष 2018-19 में प्रयुक्त करने पर ''आर0एम0एस0 2018-19 बैग्स'' का निर्धारित रंग से मार्का लगाया जायेगा। स्टेन्सिलिंग में कोड के माध्यम से क्रय केन्द्रों का चिन्हांकन किया जायेगा। गेहूँ की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद, क्रय संस्था

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एवं क्रय केन्द्र को एक कोड नम्बर आवंटित किया जायेगा। कोड नम्बर अंकित करने सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश खाद्यायुक्त द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

14.4 यदि किसी बोरे पर उपरोक्तानुसार कोड नम्बर नहीं होगा तो भण्डारण डिपो पर उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा और इसकी सूचना सम्बन्धित क्रय एजेन्सी को तत्काल लिखित रूप में दी जायेगी। यह अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक क्रय केन्द्र पर खरीदे जाने वाले गेहूँ से भरे बोरों पर उपरोक्तानुसार कोड नम्बर की स्टेन्सिल अवश्य अंकित हो, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवंटित खाद्यान्न की किसी भी स्थिति में रिसाइकिलिंग की कोई सम्भावना न रहे।

14.5 गेहूँ भरे बोरों की उपरोक्तानुसार सिलाई एवं स्टेन्सिलिंग न करने पर क्रय संस्थाओं द्वारा विभागीय हैण्डलिंग ठेकेदार से निम्नानुसार गुणवत्ता के मद में यथास्थिति (भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट गुणवत्ता मानक के अनुरूप) क्रय संस्थाओं से कटौती की जायेगीः

क्र0	विवरण	कटौती की दर
1	खराब सिलाई	रू0 1.00 प्रति बोरा
2	स्टेन्सिलिंग खराब करना	रू0 1.00 प्रति बोरा

15- <u>हैण्डलिंग व परिवहन ठेकेदारों की नियुक्तिः-</u>

रबी विपणन वर्ष 2018-19 में गेहूँ क्रय के लिए हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/सम्बन्धित क्रय एजेन्सी द्वारा नियमानुसार ई - टेण्डर के माध्यम से की जायेगी। यदि ई टेण्डर के माध्यम से गेहूँ क्रय के निमित्त हैण्डलिंग व परिवहन ठेकेदार नहीं उपलब्ध हो पाते हैं तो जन वितरण प्रणाली, रैक हैण्डलिंग, खाद व बीज की हैण्डलिंग व परिवहन कार्य हेतु नियुक्त ठेकेदार से भी यह कार्य क्रय एजेन्सी करा सकेगी। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार मशीन की सिलाई के उपरान्त ही गेहूँ से भरे बोरों का सम्प्रदान किया जायेगा। अतः हैण्डलिंग ठेकेदारों की शर्तों में अनिवार्य रूप से मशीन की सिलाई की व्यवस्था की शर्तें सम्मिलित की जायेंगी। हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा जारी कॉस्टशीट के अनुसार भुगतान किया जायेगा। यह दरें अधिकतम होंगी। यदि टेण्डर की धनराशि कॉस्टशीट में निर्धारित धनराशि से हैण्डलिंग हेतु 10 प्रतिशत से कम की सीमा से अधिक दर हों तथा परिवहन हेतु जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर से 5 प्रतिशत से कम की सीमा से अधिक कम दर हो तो उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा। टेण्डर में प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता तथा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी इफीसियेन्सी हेतु न्यूनतम दर को स्वीकार करना उचित होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16- <u>गेहूँ क्रय-</u>

खाद्य विभाग तथा भारतीय खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों को छोड़कर अन्य क्रय संस्थाओं पंजीकृत समितियों, मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटी, एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 द्वारा कृषक को गेहूँ क्रय की रसीद मण्डी समिति के प्रारूप 6 आर/ई-उपार्जन के संगत प्रारूप पर निर्गत की जायेगी, जिस पर किसान का नाम, क्रय की गई मात्रा व मूल्य अंकित किया जायेगा। किसान के हस्ताक्षर अवश्य कराये जायेंगे। खाद्य विभाग द्वारा उक्त रसीद खाद्यान्न बिल बुक/ई-उपार्जन के संगत प्रारूप पर निर्गत की जायेगी।

16.1 <u>किसानों के पहचान पत्र की व्यवस्था:-</u>

रबी विपणन वर्ष 2018-19 में क्रय केन्द्रों पर किसानों से गेहूँ खरीद जोतबही/खाता नम्बर अंकित कम्प्यूटराईज्ड खतौनी, फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा सम्भव आधार कार्ड के आधार पर की जायेगी। चकबन्दी के अन्तर्गत ग्रामों में चकबन्दी सम्बन्धी संगत भूलेख, यथा सम्भव आधार कार्ड/फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर की जायेगी। कृषक अथवा उनके परिवार के सदस्य का मोबाइल नम्बर क्रय पंजिका पर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जायेगा।

17- <u>किसान से क्रय की जाने वाली अधिकतम मात्रा:-</u>

17.1 किसानों के पास उपलब्ध जोतबही, खसरा-खतौनी इत्यादि प्रपत्रों में अंकित भूमि से प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के आधार पर ऑकलित मात्रा के आधार पर गेहूँ की खरीद की जायेगी। यदि कृषक के पास खसरा उपलब्ध नहीं है तो कृषक द्वारा गेहूँ की उपज के सम्बन्ध में लिखित रूप से दिये गए प्रमाण-पत्र के आधार पर गेहूँ क्रय किया जायेगा।

17.2 प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा क्राप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर किया जायेगा।

17.3 सप्ताह में 02 दिन लघु/सीमान्त कृषकों को गेहूँ बेचने के लिए आरक्षित रखे जायें। इस हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दिवस क्रय केन्द्रों पर मोटे अक्षरों में लिखकर प्रदर्शित किया जाय तथा समाचार पत्र आदि के माध्यम से भी प्रचार किया जाय।

17.4 <u>क्रय संस्थाओं द्वारा अस्वीकृत गेहूँ का निस्तारण:-</u>

क्रय संस्थाओं द्वारा खरीदा गया गेहूँ यदि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो उसे बाजार में बेचकर क्रय संस्थाओं द्वारा निस्तारित किया जायेगा। निस्तारण हेतु अलग से शासन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस मद में होने वाले किसी व्यय भार की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में नहीं की जाती है। इसी प्रकार राज्य सरकार की विपणन शाखा को भी अस्वीकृत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गेहूँ अपने स्तर से निस्तारित करना होगा। ऐसा करने में यदि शासन को आर्थिक हानि होती है तो उसकी वसूली सम्बन्धित क्रय एजेन्सी/क्रय प्रभारी से की जायेगी।

18- <u>गेहूँ के मूल्य का भुगतान:-</u>

समस्त क्रय एजेन्सियों द्वारा गेहूँ के मूल्य का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे गेहूँ क्रय के 72 घण्टे के अन्दर किया जायेगा। बैंक जहाँ आर0टी0जी0एस0 की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, वहाँ एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। क्रय एजेन्सियों द्वारा आर0टी0जी0एस0 की जो एडवाइज बैंको को कृषक को गेहूँ के मूल्य के भुगतान हेतु प्रेषित की जायेगी, वह मैनुअली न तैयार कर ई-उपार्जन पोर्टल पर जनरेट की जायेगी तथा यथासम्भव बैंक को ई-मेल आदि के माध्यम से भेजा जायेगा।

18.1 **<u>क्रय योजना का प्रचार एवं प्रसार:-</u>**

सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूँ क्रय के निमित्त प्रचार-प्रसार करते समय इस बिन्दु को प्राथमिकता दी जायेगी कि सरकार की मंशा किसानों को उनकी उपज की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुरूप अथवा उससे अधिक दिलाने की है। तदनुसार सरकारी क्रय केन्द्रों पर आवश्यक प्रशासनिक/ वित्तीय सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए। योजना का प्रचार-प्रसार सम्पूर्ण क्रय क्षेत्र के ग्रामों तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के बीच कराना आवश्यक होगा। इस हेतु वृहद् पैमाने पर पोस्टर, स्टिकर, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी का प्रयोग किया जायेगा। इसकी व्यवस्था मण्डी परिषद् तथाक्रय एजेन्सियों सुनिश्चित करेंगी। समस्त मण्डी समितियां जिनके क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सियों के क्रय केन्द्र खोले जायेंगे, उनका दायित्व होगा कि क्रय केन्द्रों का व्यापक प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन तथा अन्य संचार माध्यमों से सुनिश्चित कराया जाय, जिससे कि कृषकों को शासकीय योजना का लाभ मिल सके। टोल फ्री नं0-18001800150 का भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

18.2 एस0एम0एस0 व मेगा काल सेन्टर के माध्यम से गेहूँ का समर्थन मूल्य निकटवर्ती गेहूँ क्रय केन्द्र, कृषक पंजीयन की सूचना कृषक के उपलब्ध डाटाबेस से प्राप्त कर प्रेषित कराया जायेगा।

19- <u>वित्तीय व्यवस्था:-</u>

19.1 खाद्य विभाग की विपणन शाखा के अतिरिक्त राज्य सरकार की अन्य क्रय संस्थाओं को उनकी मांग पर गेहूँ क्रय के लिए कार्यशील पूंजी हेतु अग्रिम धनराशि की व्यवस्था वित्त विभाग की सहमति से खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

19.2 क्रय संस्थाओं को गेहूँ खरीद हेतु दिये जाने वाले अग्रिम ऋण की धनराशि ब्याज सहित (मूलधन तथा ब्याज) वापस किये जाने की समय-सीमा अधिकतम 31 अक्टूबर 2018 तक होगी।

19.3 स्थापित क्रय केन्द्रों पर गेहूँ खरीद वर्ष 2018-19 में गेहूँ क्रय की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित मदों पर व्यय अनुमन्य होगाः-

(1) योजना का प्रचार- प्रसार।

(2) क्रय कार्य हेतु कर्मियों का तकनीकी प्रशिक्षण।

(3) टेलीफोन/मोबाइल/स्टेशनरी/कम्प्यूटर/लैपटाप/आईपैड/इंटरनेट/इलेक्ट्रानिक कांटा/ नमी मापक यन्त्र/इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन/सोलर पैनल खाद्यान्न के विश्लेषण हेतु विश्लेषण किट आदि पर व्यय।

(4) गेहूँ क्रय आदि के निमित्त किराये पर वाहन लेने तथा पी0ओ0एल0 की व्यवस्था।

(5) अस्थायी मानव संसाधन की व्यवस्था।

(6) हैण्डलिंग/परिवहन व्ययों के भुगतान।

(7) बोरों की आपूर्ति, वर्षा आदि से खाद्यान्न के बचाव तथा रख-रखाव के लिए क्रेट्स, तिरपाल , पालीथीन कवर तथा अन्य आवश्यक सामग्री क्रय किया जाना।

(8) गेहूँ क्रय की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु काल सेन्टर खाद्यायुक्त कार्यालय एन0आई0सी0 हेतु पी0एम0यू0 (प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट) आदि मदों में व्यय।

(9) स्टाफ की कमी, खाद्यान्न क्रय में कार्य की अधिकता अवकाश के दिनों में भी खरीद, कृषक पंजीकरण, ई उपार्जन, पंजीकृत समितियों, मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटीज व एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 के माध्यम से खरीद के दृष्टिगत खाद्य विभाग में स्वीकृत रिक्त पदों के सापेक्ष तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कमी की स्थिति में सेवा प्रदाता के माध्यम से क्रमशः कम्प्यूटर आपरेटर व चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की पूर्ति नियमानुसार सक्षम स्तर से की जा सकेगी।

(10) चूंकि केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न का उठान व खाद्यान्न क्रय में सम्प्रदान बिलिंग व भुगतान का कार्य पूरे वित्तीय वर्ष होता रहेगा, अतएव उक्त मदों में व्यय पूरे वित्तीय वर्ष में अनुमन्य होगा।

19.4 पंजीकृत सोसाइटीज, मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटीज व फारमर्स प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन/फारमर्स प्रोड्यूसर कम्पनीज को भुगतान गेहूँ के केन्द्रीयपूल में डिलीवरी हो जाने के पश्चात् एक्नालेजमेण्ट के आधार पर बिल प्रस्तुत करने पर किया जाय और भा0खा0नि0 में बिल प्रस्तुत कर भुगतान लेने की कार्यवाही की जाय। पंजीकृत सोसाइटी व मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटीज, एफ0पी0ओ0 /एफ0पी0सी0 को भारत सरकार की कास्ट शीट में अनुमन्य सोसाइटी कमीशन नियमानुसार देय होगा एवं प्रशासनिक व्यय में भारत सरकार द्वारा अनुमन्य 2.5 प्रतिशत धनराशि खाद्य विभाग अस्थाई रूप से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जमानत के रूप में अपने पास रखेगा। भारत सरकार द्वारा कास्टशीट को अन्तिम रूप दिये जाने पर यदि संस्थाओं की कोई तत्समय देयता निकलेगी तो उसे इस रूकी धनराशि से समायोजित भी किया जा सकेगा। इस रूकी धनराशि पर खाद्य विभाग द्वारा संस्थाओं को किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जायेगा। यदि इन संस्थाओं पर भविष्य में कोई देयता केन्द्र/राज्य सरकार की निकलती है एवं उसकी प्रतिपूर्ति रूकी हुई धनराशि से नहीं हो पाती है तो इन संस्थाओं के विरूद्ध भू राजस्व के बकाये की भांति रिकवरी सर्टिफिकेट निर्गत कराकर नियमानुसार वसूली की जा सकेगी।

19.5 गेहूँ खरीद की समाप्ति के उपरान्त अधिकतम 03 माह में प्रत्येक गेहूँ क्रय केन्द्र का आडिट पूर्ण किया जायेगा।

19.6 गेहूँ के मूल्य का भुगतान करने के लिए अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं अन्य जो भी व्यवस्था गेहूँ क्रय हित में आवश्यक होगी, उस पर खाद्य विभाग एवं खाद्य आयुक्त द्वारा कार्यवाही की जायेगी। इस प्रयोजनार्थ होने वाले व्यय का वहन ''लेखा शीर्षक-''4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति एवं पूर्ति-03-अन्नपूर्ति योजना-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति'' से पूर्व की भाँति किया जायेगा।

20- <u>क्रय केन्द्रों व भण्डारण डिपो का निरीक्षण:-</u>

20.1 क्रय एजेन्सियों के जिला स्तरीय अधिकारियों से अपेक्षित है कि वह अपनी क्रय एजेन्सी के प्रत्येक केन्द्र का सप्ताह में न्यूनतम एक बार निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करेगें कि क्रय केन्द्र समय से खुलते हैं, वहां पर गेहूँ खरीद हेतु अपेक्षित सुविधाए हैं तथा कृषकों से ही नियमानुसार खरीद की जा रही है। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि क्रय केन्द्रों पर अनधिकृत कटौती अथवा घटतौली तो नहीं की जा रही है।

20.2 क्रय केन्द्रों को भौतिक रूप से क्रियाशील कराने, सुचारू रूप से गेहूँ क्रय सम्प्रदान व बिलिंग आदि कराने हेतु क्रय संस्था के अधिकारियों द्वारा न्यूनतम निरीक्षण निम्नवत् किये जायेगें:-

(1)	सम्भागीय खाद्य नियंत्रक -	03 केन्द्र प्रतिदिन
(2)	सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी/ संयुक्त आयुक्त/निबन्धक (सहकारी समितियाँ)/ क्रय एजेन्सियों के मण्डलीय अधिकारी -	04 केन्द्र प्रतिदिन।
(3)	जिला खाद्य विपणन अधिकारी/सहायक आयुक्त/ निबन्धक, (सहकारी समितियाँ) क्रय संस्था के जिला स्तरीय अधिकारी। -	05 केन्द्र प्रतिदिन।
(4)	क्षेत्रीय विपणन अधिकारी -	06 केन्द्र प्रतिदिन।

20.3 जिलाधिकारी अपने स्तर से क्रय एजेन्सियों द्वारा खोले गए क्रय केन्द्रों का निरीक्षण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

करायेंगे तथा विभिन्न अधिकारियों के मध्य निरीक्षण हेतु रोस्टर निर्धारित करेंगे तथा सुविधानुसार स्वयं भी गेहूँ क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करते रहेंगे।

20.4 पी0सी0एफ0 व पी0सी0यू0 के क्रय केन्द्रों की भारी संख्या के दृष्टिगत सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां एवं सहकारिता विभाग के अन्य अधिकारियों को भी नियमित निरीक्षण में लगाया जाये। मण्डल स्तर पर संयुक्त आयुक्त/निबन्धक, सहकारी समितियां, पी0सी0एफ0 व पी0सी0यू0 के केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे तथा इनकी खरीद का नियमित अनुश्रवण करेंगे।

20.5 जिलाधिकारी भण्डारण डिपो का भी समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण करायेंगे एवं सुनिश्चित करेंगे कि डिपो पर गेहूँ का सुगमतापूर्वक उतार हो, ट्रकों की लम्बी-लम्बी लाइनें न लगने पायें, श्रमिकों की समस्या उत्पन्न न हो, गेहूँ के पावती प्रपत्र समय से निर्गत किये जायें तथा गेहूँ उतार की दैनिक सूचना ईमेल, एस0एम0एस0 के माध्यम से क्रय एजेन्सियों के जनपदीय अधिकारियों को दी जाये। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी/सतर्कता अधिकारी का ईमेल, पता व फोन नम्बर तथा टोल फ्री नम्बर को भी डिपो पर प्रदर्शित किया जाये।

20.6 जनपद में कृषकों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो रहा है, मानक के अनुरूप गेहूँ की डिस्ट्रेस सेल न हो, इसे सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (जिला खरीद अधिकारी), खाद्य विभाग व मण्डी समिति/परिषद के मण्डी क्षेत्र/ब्लाक/जनपद व सम्बन्धित मण्डल स्तर के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। तहसील हेतु सम्बन्धित तहसील में कार्यरत क्षेत्रीय विपणन अधिकारी व ब्लाक हेतु सम्बन्धित ब्लाक में कार्यरत विपणन निरीक्षक नोडल अधिकारी होंगे।

21- <u>गेहूँ की केन्द्रीय पूल में डिलीवरी:-</u>

21.1 रबी विपणन वर्ष 2018-19 में गेहूँ का क्रय केन्द्रीय पूल के लिए किया जायेगा। अतः क्रय एजेंसियों द्वारा अपने क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गये गेहूँ की डिलीवरी भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्र प्रबन्धक द्वारा जारी संचरण कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित भारतीय खाद्य निगम डिपो पर की जायेगी। भा0खा0नि0 सुनिश्चित करेगी कि जनपद में गेहूँ क्रय के सापेक्ष केन्द्रीय पूल में गेहूँ का उतार तीव्रता से हो।

21.2 क्रय एजेन्सियों द्वारा 15 जून तक खरीदे गये गेहूँ की डिलीवरी भारतीय खाद्य निगम को 30 जून तक अवश्य किया जाये।

21.3 भारतीय खाद्य निगम का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि गेहूँ खरीद के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सापेक्ष भण्डारण हेतु पर्याप्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध हो, भण्डारण स्थान की कमी की स्थिति में भारतीय खाद्य निगम द्वारा समय से उपयुक्त गोदाम किराये पर लेने/खाद्यान्न का आउटवर्ड संचरण कराने की कार्यवाही वरीयता के आधार पर की जायेगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी डिपो पर प्रतिदिन उतर सकने वाली अधिकतम ट्रकों की संख्या के दृष्टिगत ही ट्रकों का संचरण कराने का प्रयास करेंगे ताकि भण्डारण डिपो पर अनावश्यक रूप से जाम की स्थिति उत्पन्न न हो।

21.4 भारतीय खाद्य निगम डिपो पर प्रतिदिन डिलीवर हुए गेहूँ की सूचना ईमेल/ एस0एम0एस0 के माध्यम से दैनिक रूप से सम्बन्धित क्रय एजेन्सी के जनपद स्तरीय अधिकारी को देगी तथा साथ ही इस सूचना को आन लाइन भी करेगी।

21.5 भारतीय खाद्य निगम द्वारा नामित डिपो पर क्रय एजेंसियों द्वारा गेहूँ की डिलीवरी दी जाएगी। गतवर्षो की भाँति गेहूँ खरीद में सिंगल विन्डो सिस्टम की व्यवस्था लागू की जायेगी। सिंगल विन्डो सिस्टम में भारतीय खाद्य निगम में सम्प्रेषित गेहूँ की प्राप्ति रसीद, वेट चेक मेमो व गुणवत्ता विश्लेषण सम्बन्धी प्रपत्र भारतीय खाद्य निगम के एक ही काउन्टर से गेहूँ प्राप्ति से 48 घण्टे के अन्दर अनिवार्यत: उपलब्ध कराये जायेंगे।

21.6 भारतीय खाद्य निगम डिपो पर तैनात क्षेत्रीय विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक व क्रय एजेन्सी के प्रतिनिधि, गेहूँ की डिलीवरी में उत्पन्न गुणवत्ता विवाद की स्थिति में भारतीय खाद्य निगम प्रतिनिधि के साथ संयुक्त विश्लेषण के उपरान्त गेहूँ की गुणवत्ता के विषय में निर्णय ले सकेगा। भारतीय खाद्य निगम द्वारा एकपक्षीय (unilateral) रूप से गेहूँ की ट्रक का रिजेक्शन नहीं किया जायेगा।

21.7 पावती पत्र (एक्नॉलेजमेन्ट) के आधार पर क्रय एजेंसियों द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर बिल तैयार कर भारतीय खाद्य निगम के भुगतान कार्यालय से सीधे बिल प्रस्तुत करने से विलम्बतम 03 कार्य दिवस में भारतीय खाद्य निगम द्वारा भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

21.8 एक्नालेजमेन्ट निर्गमन, क्रय एजेन्सियों को भुगतान ई (इलेक्ट्रानिक) प्रणाली द्वारा डिपो आनलाइन सिस्टम (डी0ओ0एस0) एवं एन0आई0सी0 द्वारा विकसित पोर्टल द्वारा किया जायेगा।

21.9 जिन जनपदों में केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत गेहूँ भण्डारण हेतु पर्याप्त भण्डारण क्षमता का अभाव होगा, उन जनपदों में जिलाधिकारी, खाद्य विभाग, राज्य भण्डारागार निगम व भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के सहयोग से गेहूँ के सुरक्षित भण्डारण की वैकल्पिक व्यवस्था समय से करेंगे, जिससे वर्षा आदि से गेहूँ क्षतिग्रस्त न होने पाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपरिहार्य स्थिति में शासकीय हित में जिलाधिकारी गेहूँ के अस्थाई भण्डारण हेतु गोदाम, भवन, अन्य उपयुक्त स्थान का नियमानुसार अधिग्रहण भी कर सकेंगे।

22 <u>कठिनाईयों का निराकरण:-</u>

गेहूँ खरीद से सम्बन्धित जारी की गयी शासकीय अधिसूचना अथवा तत्सम्बन्धित शासनादेशों के क्रियान्वयन को सुगमता से लागू करने में यदि किसी समय कोई कठिनाई अनुभव की जाती है अथवा इस प्रयोजन के लिए स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए आयुक्त, खाद्य तथा रसद, उत्तर प्रदेश निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे। यदि कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है, जो नीति विषयक हो या जिसमें अनुमोदित नीति से विचलन निहित हो, तो आयुक्त, खाद्य तथा रसद द्वारा शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

23- <u>गेहूँ क्रय का अनुश्रवण:-</u>

23.1 जिला स्तर पर जिला खरीद अधिकारी के पर्यवेक्षण में तथा सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के पर्यवेक्षण में एक खरीद नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जायेगी जिसमें गेहूँ क्रय कार्य की समीक्षा की जायेगी। साथ ही क्रय के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जायेगी।

23.2 खरीद नियंत्रण कक्ष कार्य दिवसों में कार्यालय समय में सक्रिय रहेगा। इसके अतिरिक्त रविवार व राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर अन्य अवकाश के दिनों में भी प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक क्रियाशील रहेगा।

23.3 सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी तथा क्रय संस्थाओं के मण्डलीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा गेहूँ खरीद की नियमित समीक्षा एवं क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा कि डिस्ट्रेस सेल की स्थिति उत्पन्न न होने पाये तथा क्रय केन्द्रों पर गेहूँ क्रय की समुचित व्यवस्था के अनुश्रवण के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को गेहूँ विक्रय के उपरान्त गेहूँ के मूल्य का पूरा भुगतान प्राप्त हो रहा है।

23.4 तहसील स्तर पर गेहूँ खरीद सुचारू रूप से सम्पन्न कराने व प्रभावी अनुश्रवण हेतु उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जायेगा, जो सप्ताह में न्यूनतम एक बार बैठक कर गेहूँ क्रय आदि की समीक्षा व अनुश्रवण करेगी। कमेटी के सदस्य निम्नवत् होंगे:-

क्र0	अधिकारी का नाम	समिति के सदस्य
1	उप जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय विपणन अधिकारी/ विपणन निरीक्षक	संयोजक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3	प्रत्येक क्रय एजेन्सी के तहसील/ब्लाक मुख्यालय का प्रभारी	सदस्य
4	ए0डी0सी0ओ0, सहकारिता	सदस्य
5	मण्डी सचिव	सदस्य
6	कृषि विभाग के अधिकारी	सदस्य
7	बांट-माप विभाग के अधिकारी	सदस्य
8	उप जिलाधिकारी द्वारा नामित 02 प्रगतिशील कृषक	सदस्य

23.5 जिलाधिकारी जनपद में अल्प सूचना के आधार पर शत-प्रतिशत केन्द्रों के भौतिक सत्यापन हेतु जिलास्तरीय अधिकारियों को लगाते हुए कार्य योजना तैयार करेंगे व गेहूँ खरीद को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करायेंगे।

23.6 किसी क्रय केन्द्र पर बिचैलियों या व्यापारियों से गेहूँ की खरीद करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण हेतु निर्गत गेहूँ का दुरूपयोग कर गेहूँ की खरीद करने तथा केन्द्र पर खाली बोरों के दुरूपयोग आदि का मामला प्रकाश में आता है तो ऐसे प्रकरण में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए दोषी क्रय केन्द्र प्रभारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

24- <u>खाद्य नियंत्रण कक्ष:-</u>

24.1 गेहूँ खरीद प्रगति के नियमित अनुश्रवण हेतु खरीद नियंत्रण कक्ष, जवाहर भवन, लखनऊ में स्थापित है, जो प्रात: 9-00 बजे से सांय 7-00 बजे तक खुला रहेगा। गेहूँ खरीद से सम्बन्धित संस्थावार तथा जनपदवार सूचनायें निर्धारित प्रपत्र में प्रभारी, खरीद नियंत्रण कक्ष को जिला खरीद अधिकारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी तथा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से ई-मेल/फैक्स आदि के माध्यम से प्रेषित की जायेगी तथा विभागीय वेबसाइट पर सूचना प्रत्येक जनपद में प्रतिदिन लोड की जायेगी।

24.2 प्रभारी, खाद्य नियंत्रण कक्ष, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा गेहूँ खरीद प्रगति की संस्थावार सूचना शासन को प्रतिदिन उपलब्ध करायी जायेगी। सभी संस्थायें व सम्भागीय खाद्य नियंत्रक निर्धारित प्रारूप पर खरीद, भारतीय खाद्य निगम को डिलीवरी, एक्नालेजमेण्ट, बिलिंग, भुगतान व अवशेष भुगतान की दैनिक सूचना खरीद नियंत्रण कक्ष को अनिवार्यतः प्रतिदिन 12:00 बजे तक फैक्स/ई-मेल <u>(up.fncs@gmail.com)/</u>विशेष पत्रवाहक के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

24.3 खाद्य आयुक्त, नियंत्रण कक्ष का दूरभाष व फैक्स नं0-0522-2286906 है तथा विभागीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वेबसाइट www.fcs.up.nic.in है। गेहूँ क्रय से सम्बन्धित शिकायतें/सुझाव टोल फ्री नं0-18001800150 पर भी दर्ज करायी जायेंगी।

25- <u>गेहूँ खरीद के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक:-</u>

25.1 गेहूँ खरीद के सम्बन्ध में विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार समीक्षा बैठक की जायेगी, जिसमें भा0खा0नि0 के प्रतिनिधि सहित समस्त क्रय संस्थाओं के सक्षम अधिकारी तथा कृषि उत्पादन मण्डी समिति सहकारिता, बांट-माप व व्यापार कर आदि विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगाः-

मण्डलायुक्त	पाक्षिक
जिलाधिकारी	साप्ताहिक
जिला खरीद अधिकारी	दैनिक

26- <u>पुरस्कार/मानदेय एवं दण्ड की व्यवस्थाः-</u>

प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप गेहूँ क्रय में महत्वपूर्ण योगदान देने अथवा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत या उससे अधिक गेहूँ की खरीद करने पर शासन की अनुमति से क्रय संस्थाओं/शासन तथा विभाग के अधिकारियो /कर्मचारियों को ''लेखा शीर्षक-''4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूँजीगत परिव्यय- आयोजनेत्तर-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति एवं पूर्ति-03-अन्नपूर्ति योजना-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति'' के मद से पुरस्कार/मानदेय देकर प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, यदि गेहूँ खरीद में किसी क्रय संस्था/अधिकारी /कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही/उदासीनता बरती जाती है या लक्ष्य के अनुरूप क्रय किये जाने में योगदान नहीं दिया जाता है तो उसे नियमानुसार दण्डित करने हेतु सभी क्रय संस्थाओं के सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

27- प्रदेश स्तर पर गेहूँ खरीद का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण खाद्य तथा रसद विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा:

क्र0	अधिकारी का नाम	दूरभाष संख्या
1	डा0 अशोक चन्द्र, विशेष सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	कार्यालय- 0522- 2238039. मो0-9412485399

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	श्री अशोक कुमार सिंह, अपर आयुक्त,(विपणन) खाद्य तथा रसद विभाग, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।	कार्यालय- 0522-2286044 मो0- 9415003971

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए गेहूँ की खरीद प्रभावी ढंग से की जाये।

भवदीया,

(निवेदिता शुक्ला वर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-02/2018/206(1)/29-5-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव,उ0प्र0 शासन।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री उ0प्र0 ।
5- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव,उ0प्र0 शासन,वित्त/संस्थागत वित्त/सहकारिता/कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार@U;k; विभाग।
6- समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
7- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले] नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन,नई दिल्ली।
8- आंचलिक प्रबन्धक,भारतीय खाद्य निगम,नई दिल्ली।
9- निदेशक]राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
10- आयुक्त,वाणिज्य कर,उ0प्र0,लखनऊ।
11- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग]7 बालाकदर रोड, लखनऊ।
12- आयुक्त, एवं निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0 लखनऊ।
13- कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
14- अपर आयुक्त (विपणन) वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग] लखनऊ।
15- समस्त सम्भागीय विपणन अधिकारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी,उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

16- समस्त सम्भागीय लेखाधिकारी,खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0।

17- प्रभारी, खाद्य नियंत्रण कक्ष, जवाहर भवन, लखनऊ।

18- खाद्य तथा रसद विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी।

19- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उ0प्र0, लखनऊ ।

20- मीडिया सलाहकार, मा0मुख्यमंत्री जी,उ0प्र0।

21- गार्ड फाइल/एन0आई0सी0,लखनऊ।

आज्ञा से

(जी0पी0 कमल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।